


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 3678-329 दिनांक: 13-5-11

परियोजना प्रबन्धक,  
जिला जलग्रहण विकास इकाई एवं  
अधिकाधी अभियन्ता (भू संसाधन),  
जिला परिषद (समस्त)

विषय :- उप समिति (जलग्रहण) के पंजीकरण के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4721-5178 दिनांक 08.03.2011 के माध्यम से आईडब्ल्यूएमपी, अन्तर्गत जलग्रहण समितियों को सम्बन्धित ग्राम पंचायत की "उप समिति (जलग्रहण)" घोषित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अब "उप समिति (जलग्रहण)" का पंजीकरण, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत करवाया जाना अनिवार्य नहीं है।

  
निदेशक

क्रमांक : एफ.18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2011 / 3678-329 दिनांक: 13-5-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतो राज विभाग, राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
7. संयुक्त निदेशक (एमआईईएस/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
8. उपनिदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन/कृषि/प्रशिक्षण/लाईवलिहड/गु.नि./राजग्रवि/ग्रावि), निदेशालय, जयपुर।
9. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
10. पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, जिला परिषद (समस्त)

  
निदेशक